



Neutral Citation No. - 2026:AHC:16031

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 43322 वर्ष 2024

पुनीतआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता: ब्रह्मा कुमार तिवारी

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री ब्रह्मा कुमार तिवारी, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राम मोहित यादव को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 274 वर्ष 2024, अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 118(1), 109, 333, 103(1), 3(5) बी.एन.एस. (B.N.S.) एवं धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना- खतौली, जिला- मुजफ्फरनगर में जमानत पर रिहा करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
4. अभियोजन पक्ष के अनुसार, एफआईआर में कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ कुल नौ अभियुक्तों को नामित किया गया था, जिनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने श्याम कुमार पर हमला किया और उन्हें चाकू मारा। जब मुखबिर और एक अन्य व्यक्ति राजीव कुमार उन्हें बचाने के लिए दौड़े, तो लाठी, डंडा और तलवार लिए हुए अन्य अभियुक्तों ने उन्हें भी घायल कर दिया।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक दिनांक 22.07.2024 से जेल में निरुद्ध है, इस प्रकार आवेदक लगभग डेढ़ वर्ष से जेल में है। निकट भविष्य में विचारण के संपन्न होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि अब तक केवल एक गवाह का परीक्षण हुआ है। ऐसे में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त आवेदक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह विचारण में सहयोग के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि दो घायल व्यक्तियों के बयानों में यह बात सामने आई है कि आवेदक और सह-अभियुक्त विक्रांत ने मृतक व्यक्ति को चाकू मारा था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार, आवेदक और अभियुक्त विक्रांत मुख्य अभियुक्त हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से विचारण की स्थिति (status of trial) मांगी थी। दिनांक 02.12.2025 की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, अब तक केवल एक गवाह का परीक्षण किया गया है।
8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दो घायल व्यक्तियों द्वारा आवेदक को सह-अभियुक्त विक्रांत के साथ मृतक को चाकू मारने की भूमिका सौंपी गई है, और इस तथ्य को देखते हुए कि विचारण चल रहा है तथा एक गवाह का परीक्षण पहले ही किया जा चुका है, मैं आवेदक को जमानत देने के लिए इसे उपयुक्त मामला नहीं पाता हूँ।
9. जमानत आवेदन गुण-दोष रहित पाया जाता है और तदनुसार **खारिज** किया जाता है।
10. हालांकि, यह निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई कानूनी बाधा न हो, तो विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त मामले को उच्चतम न्यायालय द्वारा **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) SCC 220 और हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 SCC 702** के मामलों में हाल के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में शीघ्रता से निस्तारित किया जाए।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियां केवल जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर इन टिप्पणियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जनवरी 21, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।